रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2010/पौष 21, 1931
No. 16] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2010/PAUSA 21, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34 (41)/2009-मेडि./64508.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना (संशोधन) विनियमावली, 2009 (भाग IV)" कहा जाए।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. अनुसूची और टिप्पणी में दिनांक 22-3-2005 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित परिशिष्ट-II के पश्चात् "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" को निम्नलिखित रूप में पुन: संशोधित किया जाए :—

"क्र. सं.	प्रोसेसिंग का चरण	समय अनुसूची
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति	1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
2.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन-पत्रों को तकनीकी संवीक्षा हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अग्रेषित करना	31 मई तक
3.	अनुमति पत्र जारी करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजना	31 जनवरी तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	28 फरवरी तक

टिप्पणी :—

1. अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के संबंध में चूंकि अकादमिक सत्र का प्रारंभण पहली अगस्त से होता है, इसलिए ऊपर प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों के सामने दर्शाई गई अंतिम तारीखें साढ़े तीन महीने तक बढ़ाई जा सकेंगी और तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करने की अंतिम तारीख 15 जून होगी।

2. स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री की सीटें और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम वाली सीटें, जिनके लिए सरकार द्वारा किसी वर्ष विशेष के क्रमशः 28 फरवरी और 15 जून तक अनुमति प्रदान की जाती है, वे उस वर्ष में आरंभ होने वाले अकादमिक सत्र के संबंध में छात्रों के दाखिले हेतु सीट संबंधी मानदंडों में ही शामिल रहेंगे।

3. आगामी वर्ष में आरंभ होने वाले अकादमिक सत्र के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु किसी वर्ष विशेष में केवल अप्रैल के महीने में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।"

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव (प्रश.)

[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000/मेडि. के अन्तर्गत दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित किया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 मार्च, 2005, 29 जुलाई, 2008, 23 सितम्बर, 2009 और 9 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना को संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2010

No. MCI.34/41/2009-Med./64508.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations 2000" namely :—

1. (i) These regulations may be called "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Post Graduate Course of Study or Training) (Amendment), Regulations 2009 (Part-IV)".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations 2000", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In the Schedule and Note in "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations, 2000", after Appendix-II, as amended *vide* notification dated 22-03-2005, be further amended as under :—

Sl. No.	Stage of Processing	Time Schedule
1.	Receipt of applications by the Central Government.	1st April to 30th April
2.	Forwarding of applications by Central Government to Medical Council of India for technical scrutiny.	Up to 31st May
3.	Recommendation of Medical Council of India to Central Government for issue of Letter of Permission.	Upto 31st January
4.	Issue of Letter of Permission by Central Government.	Up to 28th February

Note : 1. In respect of Super-speciality courses as the commencement of academic session is from 1st of August, the last dates indicated against the various stages of processing above shall be extendable by three and a half months and accordingly the last date for issue of Letter of Permission by the Central Goverment shall be 15th June.

2. The Post Graduate diploma/degree seats and the Super-speciality seats for which permission is granted by the Government respectively upto 28th February and 15th June of any particular year shall only stand included in the seat matrix for admission of students in respect of the academic session commencing in that year.

3. The applications received in the month of April only in any particular year shall be considered for grant of permission for the academic session commencing in the succeeding year."

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT III/4/Exty./100/09]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Highier Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 *vide* Medical Council of India Notification No. 34(41)/2000/Med., dated the 14th August, 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notifications dated 22nd March, 2005, 29th July, 2008, 23rd September, 2009 and 9th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.